भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 655
25 जुलाई, 2024 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफपीई योजना

655. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या-क्या हैं;

(ख) क्या देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश राज्य से उक्त योजना के अंतर्गत 10,000 से अधिक व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और लगभग दस प्रतिशत आवेदन ही स्वीकार किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इतनी कम संख्या में आवेदनों को स्वीकार किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा वैयक्तिक सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है।

इस योजना का उद्देश्य ऋण तक पहुंच बढ़ाने, ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत करके संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण, सामान्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संस्थानों, अनुसंधान और प्रशिक्षण को मजबूत बनाने के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों की क्षमता का निर्माण करना है।

(ख) और (ग): देश में 2,57,347 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से इस योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए ऋणदाता बैंकों द्वारा 92,549 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त 11,868 आवेदनों में से 5,440 को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं और बैंकों के पास 1868 आवेदन लंबित हैं । ऋणदाता बैंकों ने ऋण देने के लिए लगभग 54.4% आवेदनों को स्वीकृत किया है।

(घ): प्रस्तुत आवेदनों की अस्वीकृति को न्यूनतम करने के लिए ऋण देने वाले बैंकों, राज्य स्तरीय बैंकिंग समितियों (एसएलबीसी), राज्य नोडल एजेंसियों (एसएनए)/राज्य सरकार के विभागों के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं। इसके अलावा, इस योजना के तहत जिला संसाधन व्यक्तियों (डीआरपी) की नियुक्ति की गई है, जो परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, ऋण तक पहुंच, गुणवत्ता और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन आदि के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहायता/मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

*****